



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30042026-272179
CG-DL-E-30042026-272179

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 298]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 29, 2026/वैशाख 9, 1948

No. 298]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 29, 2026/VAISAKHA 9, 1948

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2026

फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई.- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 43 की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एतद द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 6 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. सं. 3648 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्: -

तालिका में,-

1. उत्तरी क्षेत्र से सम्बंधित 'क' में, राजस्थान के नीचे, क्रम संख्या 15 के कॉलम (1) और उससे संबंधित कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"15.	जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला पंजीकरण सं. 78/एन/एफएसएसएआई/2021 बी-33 अंबेडकर नगर, अलवर, राजस्थान, भारत	रासायनिक";

2. पश्चिमी क्षेत्र से सम्बंधित 'ख' में, महाराष्ट्र के नीचे, क्रम संख्या 16 के कॉलम (1) और उससे संबंधित कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्, -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"16.	अल्फ्रेड एच नाइट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पंजीकरण सं. 13/डब्ल्यू/एफएसएसएआई/2014 प्लॉट ए/758, सेक्टर 2, टीटीसी औद्योगिक क्षेत्र, नवी मुंबई, ठाणे, महाराष्ट्र	जैविक रासायनिक";

3. दक्षिणी क्षेत्र से सम्बंधित 'ग' में,

(1) कर्नाटक के नीचे, क्रम संख्या 21 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को सम्बंधित कॉलमों में अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"22.	एसएलएन टेस्टिंग लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड पंजीकरण सं. 98/एस/एफएसएसएआई/2026 नंबर: 23, जेडीएन लेआउट, 10वां क्रॉस, राघवेंद्र औद्योगिक क्षेत्र, थिगलरपल्या मेन रोड, पीन्या द्वितीय चरण, बेंगलुरु, कर्नाटक	जैविक रासायनिक";

(2) तमिलनाडु के नीचे,

(क) क्रम संख्या 29 के कॉलम (1) और उससे संबंधित कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्, -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"29.	ह्यूबर्ट एनवायरो केयर सिस्टम्स लिमिटेड पंजीकरण सं. 88/एस/एफएसएसएआई/2024 ए-21, तृतीय चरण, थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई, तमिलनाडु	जैविक रासायनिक";

(ख) क्रम संख्या 32 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को सम्बंधित कॉलमों में अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"33.	नवल एनालिटिकल लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पंजीकरण सं. 99/एस/एफएसएसएआई/2026 नंबर: 18, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रियल एस्टेट, बेंगलोर बाईपास रोड, होसुर, कृष्णागिरी, तमिलनाडु	जैविक रासायनिक"

राजित पुनहानी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./67/2026-27]

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्या 3648 (अ), दिनांक 6 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित हुई थी और अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में

अधिसूचना संख्या फा.सं . क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई, दिनांक 28 जनवरी, 2026 के माध्यम से की गई थी।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2026

F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendment in the notification number S.O. number 3648 (E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th December, 2016, namely: -

In the table,

1. In 'A' related to NORTHERN REGION, under *Rajasthan*, for serial number 15, in column (1) and respective entries in column (2) & (3), the following shall be substituted, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"15.	Public Health Laboratory Reg. No. 78/N/FSSAI/2021 B-33 Ambedkar Nagar, Alwar, Rajasthan, India	Chemical";

2. In 'B' related to WESTERN REGION, under *Maharashtra*, for serial number 16, in column (1) and respective entries in column (2) & (3), the following shall be substituted, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"16.	Alfred H Knight India Private Limited Reg. No. 13/W/FSSAI/2014 Plot A/758, Sector 2, TTC Industrial Area, Navi Mumbai, Thane, Maharashtra	Biological Chemical";

3. In 'C' related to SOUTHERN REGION,

(1) under *Karnataka*, after serial number 21, the following entries shall be inserted in respective columns, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"22.	SLN Testing Laboratory Private Limited Reg. No. 98/S/FSSAI/2026 No. 23, JDN Layout, 10th Cross, Raghavendra Industrial Area, Thigalarapalya Main Road, Peenya 2nd Stage, Bengaluru, Karnataka	Biological Chemical";

(2) under *Tamil Nadu*,

(a) for serial number 29, in column (1) and respective entries in column (2) & (3), the following shall be substituted, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“29.	Hubert Enviro Care Systems Limited Reg. No. 88/S/FSSAI/2024 A-21, III Phase, Thiru Vi Ka Industrial Estate, Guindy, Chennai, Tamil Nadu	Biological Chemical”;

(b) after serial number 32, the following entries shall be inserted in respective columns, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“33.	Nawal Analytical Labs India Private Limited Reg. No. 99/S/FSSAI/2026 No: 18, Electrical & Electronics Industrial Estate, Bangalore Bypass Road, Hosur, Krishnagiri, Tamil Nadu	Biological Chemical”

RAJIT PUNHANI, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./67/2026-27]

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. number 3648 (E), dated the 6th December, 2016 and last amended *vide* notification number F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI dated 28th January, 2026 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4.